

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1953/2006/भरतपुर दयासिंह वगैरह बनाम जोगेन्द्र सिंह व अन्य</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>08-02-2024</p>	<p style="text-align: center;">एकल-पीठ श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य</p> <p>उपस्थित: श्री योगेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थी। श्री अशोक अग्रवाल अधिवक्ता अप्रार्थी।</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा प्रकरण सं0 42/2004 में पारित आदेश दिनांक 20-02-2006 के विरुद्ध पेश की गई है।</p> <p>2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी जीतसिंह ने जोगेन्द्र सिंह व अन्य 2 के विरुद्ध एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 02-11-2000 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया। वादी जीतसिंह ने दिनांक 24-8-2002 को उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर), भरतपुर के समक्ष वाद को पुनः नम्बर पर लेने के लिए आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थना पेश किया साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश कर कथन किया कि उनके वकील ने हर पेशी पर न्यायालय में आने के लिए मना किया था कि उन्हें आने की जरूरत नहीं है जरूरत होगी तब सूचना दी जायेगी। काफी समय तक वकील द्वारा केस के बारे में सूचित नहीं करने वे न्यायालय में दो बार वकील नहीं मिलने तथा उसके बाद नया वकील</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1953/2006/भरतपुर दयासिंह वगैरह बनाम जोगेन्द्र सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>करने पर ज्ञात हुआ कि विचारण न्यायालय द्वारा उनका वाद अदम हाजरी एवं अदम पैदवी में खारिज कर दिया गया है। निर्णय की नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः देरी को क्षमा कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा वाद को पुनः नम्बर पर लिया जावे। प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते वादी जीतसिंह का दिनांक 24-5-2003 को निधन हो गया। इसके बाद दिनांक 08-12-2003 को वादी जीतसिंह के वारिसान ने आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर जीतसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 07-10-2004 द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी खारिज कर दिया एवं आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थनापत्र देरी से पेश किये जाने से वाद को अबेट होना माना है। विचारण न्यायालय के निर्णय दिनांक 07-10-2004 के विरुद्ध प्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 20-02-2006 द्वारा अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।</p> <p>3- हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताग की निगरानी पर बहस सुनी।</p> <p>4- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी-मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में यह कथन अंकित किया था कि वकील व वादी के उपस्थित नहीं होने से वाद अदम हाजरी व अदम</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1953/2006/भरतपुर दयासिंह वगैरह बनाम जोगेन्द्र सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>पैरवी में खारिज हो गया जिसकी जानकारी वकील द्वारा वादी कोई नहीं दी गई। वादी अनपढ़ काश्तकार है जिसे कानूनी प्रक्रियाओं की पूर्ण जानकारी नहीं थी। काफी समय तक पुराने वकील द्वारा केस के बारे में सूचना नहीं दिये जाने तथा दो बार न्यायालय में उनके नहीं मिलने के कारण नया वकील करने से उन्हें उनके वाद के अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करने की जानकारी हुई है इसलिए प्रार्थना पत्र 9 नियम 9 सीपीसी पेश करने में देरी हुई है। लेकिन वादी के उक्त कथनों पर विचारण न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं कर प्रार्थना पत्र निरस्त किया है तथा वादी स्व0 जीतसिंह के विधिक वारिसान द्वारा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को भी समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर विधि विरुद्ध तरीके से वाद अबेट होना माना। अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी कथन किया कि वादी जीतसिंह की मृत्यु दिनांक 24-5-2003 को हुई है। प्रस्तुत वाद की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी क्योंकि उनके पिता जीतसिंह द्वारा ही समस्त कार्यवाही सम्पादित की जा रही थी। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु होने के पश्चात् वाद की जानकारी होने पर उनके द्वारा दिनांक 08-12-2003 को आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था। वादी की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की समयावधि 90 दिवस निर्धारित है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका था तथा वादी के वारिसान को वाद के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को सद्भावी कारण मानते</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1953/2006/भरतपुर दयासिंह वगैरह बनाम जोगेन्द्र सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>हुए विचारण न्यायालय को स्वीकार किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में वाद अबेट होने बाबत् अभिमत प्रकट किया है, वह विधिसम्मत नहीं है। वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में दिनांक 02-11-2000 को खारिज हुआ है। वादी जीतसिंह ने दिनांक 24-8-2002 को आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश किया है। वादी जीतसिंह की मृत्यु दिनांक 24-5-2003 को हुई है। अपीलीय न्यायालय ने भी अपील का सरसरी तौर पर देखते हुए प्रकरण के तथ्यों पर विधिक विश्लेषण किये बिना विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए अपील खारिज की है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर एवं उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 20-02-2006 तथा 07-10-2004 खारिज किये जाकर आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे तथा वाद को पुनः नम्बर पर लिया जावे।</p> <p>5- इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया कि वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने के बाद वादी जीतसिंह द्वारा देरी से आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश किया है जिसमें धारा 5 के प्रार्थना पत्र में देरी से प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के प्रतिदिन के कारण अंकित नहीं किये तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी 90 दिवस के बाद पेश किये जाने से वाद अबेट हो गया था। विचारण</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1953/2006/भरतपुर दयासिंह वगैरह बनाम जोगेन्द्र सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है जिससे राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं जिनमें निगरानी के जरिये हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।</p> <p>6- हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।</p> <p>7- पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी जीतसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद सहायक कलक्टर, भरतपुर द्वारा दिनांक 02-11-2000 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। वादी द्वारा दिनांक 24-8-2002 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर), भरतपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी तथा धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर वाद को पुनः नम्बर पर लेने का अनुरोध किया है। वादी जीतसिंह की मृत्यु दिनांक 24-5-2003 को होने पर उनके वारिसान द्वारा दिनांक 08-12-2003 को आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर वादी के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने का अनुरोध किया गया है। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 07-10-2004 में यह मत अभिव्यक्त किया कि आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के प्रार्थना पत्र अत्यंत विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में प्रतिदिन देरी के कारण नहीं बताये गये हैं, साथ ही यह भी अंकित किया कि वाद में एक ही वादी हो तो विलम्ब से वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर वाद का उपशमन माना जाता है।</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1953/2006/भरतपुर दयासिंह वगैरह बनाम जोगेन्द्र सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>8- वाद के विचाराधीन रहते यदि वादी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसान को 90 दिवस की अवधि में रिकार्ड पर नहीं लिये जाने पर वाद का उपशमन हो जाता है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादी जीतसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद सं0 139/2002 दिनांक 02-11-2000 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था। उक्त वाद के खारिज होने के पश्चात् वादी जीतसिंह की दिनांक 24-5-2003 को मृत्यु हुई है। चूंकि वाद के विचाराधीन रहते वादी की मृत्यु न होकर वाद के अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज होने के बाद जीतसिंह की मृत्यु हुई है, ऐसी स्थिति में वाद का उपशमन नहीं माना जा सकता।</p> <p>9- विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया कि वादी जीतसिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया था कि वकील के कहने पर वे हर पेशी पर न्यायालय में नहीं आते थे इसलिए वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज होने की सूचना वकील द्वारा उन्हें नहीं दी गई तथा दो बार विचारण न्यायालय में आने के पश्चात् भी वकील नहीं मिलने पर दूसरे वकील को नियुक्त करने से उन्हें जानकारी हुई कि उनका वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया है। जहां वकील की गलती से वाद खारिज हुआ है। ऐसी स्थिति में वकील की गलती का खामियाजा पक्षकारान को दिया जाना उचित नहीं है। माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अनेकानेक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के बजाय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 9 सीपसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारिज करने</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1953/2006/भरतपुर दयासिंह वगैरह बनाम जोगेन्द्र सिंह व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>में त्रुटि की है। अपीलीय न्यायालय ने भी प्रकरण के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के संदर्भ में विधि की व्याख्या किये बगैर सरसरी तौर पर अपील का निर्णय किया है। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण की वस्तुस्थिति को देखते हुए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को बतौर क्षतिपूर्ति दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>10- परिणामतः 3000/- रुपये (अक्षरे तीन हजार रुपये) की कोस्ट पर प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीक का निर्णय दिनांक 20-02-2006 तथा उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर), भरतपुर का निर्णय दिनांक 07-10-2004 खारिज किये जाते हैं। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर), भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक वादी जीतसिंह के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर, उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर यथासम्भव शीघ्र निस्तारण करें। उक्त कोस्ट की राशि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को अदा किये जाने के पश्चात् ही विचारण न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावे।</p> <p>11- आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे तथा इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जमा कराई जावे।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(भंवर सिंह सान्दू) सदस्य</p>	

